रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 1999/श्रावण 7, 1921
No. 65] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 1999/SRAVANA 7, 1921

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1999

फा. सं. 301-4/99-टी.आर.ए.आई.(इकॉन).—भारत और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के टैरिफ को एक आदेश द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निम्नलिखित आदेश करता है :

दूरसंचार टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश 1999

1. संक्षिप्त विषय, विस्तार और प्रारम्भ :

   (i) इस आदेश को "दूरसंचार टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश 1999" कहा जाएगा।

   (ii) यह आदेश 1 मई, 1999 से लागू माना जाएगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची-I (आई एस डी एन के अलावा बुनियादी सेवाएं) में :

   (i) मौजूदा धारा (जी) को हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाएगा :

(जी) वैकल्पिक टैरिफ पैकेज	सेवा प्रदाताओं द्वारा, मानक टैरिफ पैकेज में प्रदान की गई सुविधाओं आदि के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को वैकल्पिक टैरिफ और निःशुल्क कॉल आदि की छूट। वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों में, वसूल किए जाने वाले किसी भी टैरिफ पर कोई सीमा नहीं है सिवाय इसके प्रतिभूति जमा (एस टी डी/आई एस डी को छोड़कर), संस्थापना प्रभार और रजिस्ट्रेशन प्रभार की अधिकतम सीमा (सीलिंग) सभी वैकल्पिक पैकेजों पर अग्रेनीत होंगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी सेवा प्रदाता धारा संस्थापना प्रभार तभी लिए जाएंगे जब उपभोक्ता पहली बार सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए पैकेज का ग्राहक बनता है। उस स्थिति में संस्थापना प्रभार नहीं लिए जाएंगे जब उपभोक्ता उसी सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए एक पैकेज से दूसरे पैकेज में जाता है।

3. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 को अनुसूची- II (सेल्यूलर मोबाइल दूरसंचार सेवा) में :—

(i) अनुसूची-II में मौजूदा फुटनोट हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाएगा :

दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) 1999 में अधिसूचित टैरिफ तथा तत्पश्चात् टीटीओ 1999 में किए गए संशोधनों को तब तक लागू माना जाएगा जब तक उनके स्थान पर ''आह्वानकर्त्ता द्वारा देय याने'' कालिंग पार्टी पेज (सीपीपी) प्रणाली से संगत टैरिफ नहीं आ जाते। सी पी पी, प्रणाली के अंतर्गत लागू टैरिफ प्राधिकरण द्वारा यथासमय अधिसूचित किए जाएंगे।

(ii) मौजूदा धारा (बी) को हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाएगा :—

(बी) वैकल्पिक टैरिफ पैकेज	सेवा प्रदाताओं द्वारा, मानक टैरिफ पैकेज में प्रदान की गई सुविधाओं आदि के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को वैकल्पिक और नि:शुल्क कॉल आदि की छूट। वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों में वसूल किए गए किसी भी टैरिफ पर कोई सीमा नहीं है सिवाय इसके कि प्रतिभूति जमा (एसटीडी/आईएसडी) को छोड़कर संस्थापना प्रभार और रजिस्ट्रेशन प्रभार की अधिकतम सीमा (सीलिंग), सभी वैकल्पिक पैकेजों पर अग्रेनीत होंगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा संस्थापना प्रभार तभी लिए जाएंगे जब उपभोक्ता पहली बार सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए पैकेज का ग्राहक बनता है। उस स्थिति में संस्थापना प्रभार नहीं लिए जाएंगे जब उपभोक्ता उसी सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए एक पैकेज से दूसरे पैकेज में जाता है।

4. इस आदेश में अनुबंध ''क'' में, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है जो दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में इस संशोधन के कारणों की व्याख्या करता है।

5. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 के व्याख्यात्मक ज्ञापन को व्याख्यात्मक ज्ञापन-1 और अनुबंध-''क'' के व्याख्यात्मक ज्ञापन को व्याख्यात्मक ज्ञापन-4 का क्रमांक दिया जाएगा।

आदेशानुसार

हर्ष वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार

[विज्ञापन/3/4/असा./142/99]

अनुबंध-क

व्याख्यात्मक ज्ञापन-4

1. 31 मई, 1999 को जारी दूरसंचार टैरिफ आदेश (टी टी ओ), 1999 के तीसरे संशोधन में प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि,

''वैकल्पिक टैरिफ पैकेज में वसूल किए जाने वाले किसी भी टैरिफ पर कोई सीमा नहीं है परन्तु किसी सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए सभी टैरिफ पैकेजों में प्रतिभूति जमा (एसटीडी/आईएसडी को छोड़कर), संस्थापना और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रभार वही होंगे जो उस सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए मानक टैरिफ पैकेज में वसूल किए जाते हैं।

2. कतिपय सेवा प्रदाताओं की ओर से प्राधिकरण को सूचना मिली कि वे विशेष वैकल्पिक पैकेजों में प्रतिभूति जमा कम करने के इच्छुक हैं परन्तु टी टी ओ 1999 का तीसरा संशोधन उनको ऐसा करने से रोकता है।

3. तीसरे संशोधन में प्राधिकरण के निर्णय का उद्देश्य यह था कि उपभोक्ताओं को पैकेजों को चुनने की सुविधा रहे तथा उन्हें, उपलब्ध विकल्पों में बढ़ोत्तरी हो। इसका आशय वैकल्पिक पैकेजों के विपणन में सख्ती या ठहराव को कम करना था। प्राधिकरण की मंशा यह है कि विभिन्न टैरिफ पैकेजों के बीच आवागमन के लिए ऐसा ढांचा बन जाए कि उपभोक्ता के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें और सेवा प्रदाता उसे पारदर्शी तरीके से इतनी सूचना दें कि उपभोक्ता सोच समझ कर अपना विकल्प चुन सके। प्राधिकरण ने, इस उद्देश्य की प्राप्ति के वास्ते ढांचे की रूपरेखा बनाने के निमित्त दो आदेश जारी किए। उपभोक्ता को एक टैरिफ पैकेज से दूसरे टैरिफ पैकेज में जाने में समस्या न हो, इसके लिए एक ऐसी प्रणाली अपनाने की संभावना पर चर्चा करने के लिए, बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के साथ एक परामर्शी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें टी आर ए आई द्वारा निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया:

(i) किसी भी सेवा प्रदाता के उपभोक्ता को एक टैरिफ पैकेज से दूसरे टैरिफ पैकेज में जाने का अधिकार है।

(ii) एक पैकेज से दूसरे पैकेज में जाने में उपभोक्ता को उन मदों के लिए कोई भुगतान नहीं करना चाहिए जिसके लिए सेवा प्रदाता ने कोई अतिरिक्त लागत न उठाई हो। ''संस्थापना प्रभार'' इसका एक उदाहरण हो सकता है।

(iii) एक पैकेज से दूसरे पैकेज में जाने के लिए लागू शर्तों के बारे में उपभोक्ता को सूचित किया जाना चाहिए।

4. वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों में उपभोक्ताओं से वसूली गई प्रतिभूति जमा की न्यूनता की संभावना को बनाए रखने के लिए, प्राधिकरण ने वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों में, इस मद के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने का, और इस राशि को मानक टैरिफ पैकेज की संगत राशि से न जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण सभी टैरिफ पैकेजों की प्रतिभूति जमा की सीमा (सीलिंग) को बनाए रखने का इच्छुक है। यह सीमा वही होगी जो मानक (स्टैंडर्ड) टैरिफ पैकेज के लिए निर्दिष्ट अर्थात 3000 रु. है।

5. चूंकि प्रतिभूति जमा की न्यूनता या उसका कम होना, उपभोक्ता के हित में होगा इसलिए प्राधिकरण ने प्रतिभूति जमा (एस टी डी/आई एस डी को छोड़कर) की राशि के निर्धारण के लिए, सेवा प्रदाताओं को इस बारे में लचीलापन प्रदान करने का निर्णय लिया है बशर्ते कि यह राशि 3000 रु. की निर्दिष्ट सीमा के भीतर हो। इस निर्णय का महत्व यह है कि भिन्न-भिन्न पैकेजों के लिए प्रतिभूति जमा राशि भी भिन्न हो सकती है। यदि उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के रूप में किसी विशेष धनराशि वाले एक टैरिफ पैकेज से, कम प्रतिभूति जमा वाले, दूसरे टैरिफ पैकेज में जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि इन दोनों के बीच अन्तर की धनराशि या तो उपभोक्ता को लौटा दी जाएगी या फिर उपभोक्ता द्वारा देय धनराशि में इसे समायोजित कर दिया जाएगा। यह राशि, उपभोक्ता को अंतरण के बाद के अगले बिलिंग साइकिल में सम्मिलित की जाएगी। इसके अलावा, (टी टी ओ) 1999 के तीसरे संशोधन में जैसा उल्लेख किया गया है उपभोक्ता के नेटवर्क सेवा छोड़ते समय सेवा प्रदाता उसे समस्त प्रतिभूति जमा धनराशि लौटाएगा। यदि ग्राहक को सेवा समाप्त कराते समय सेवा प्रदाता को बकाया धनराशि देनी है, तो इस धनराशि को अंतिम लेन-देन करते समय समायोजित किया जा सकता है।

6. जहां तक संस्थापना प्रभार का संबंध है, प्राधिकरण यह स्पष्ट करना चाहता है कि इन प्रभारों को तभी लगाया जाए जब ग्राहक किसी विशेष सेवा प्रदाता के नेटवर्क की सेवाएं प्राप्त करे। उस स्थिति में संस्थापना शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा जब उपभोक्ता उसी सेवा प्रदाता के एक टैरिफ पैकेज से दूसरे टैरिफ पैकेज में अंतरित हो जाता है। यदि कोई ग्राहक एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता की सेवाएं लेता है, तो ग्राहक को पुनः संस्थापना शुल्क देना होगा लेकिन यह शुल्क दूसरे सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का ग्राहक बनते समय देना है न कि बाद में उस सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई एक पैकेज से दूसरे पैकेज में अंतरण के लिए।

7. सेवा प्रदाताओं के हितों से जुड़ा एक पहलू यह है कि ग्राहकों द्वारा टैरिफ पैकेजों में बार-बार परिवर्तन से उनके द्वारा अतिरिक्त लागत या खर्च में हर बार परिवर्तन होता रहता है। तदनुसार, सेवा प्रदाताओं ने प्रस्ताव किया है कि उन्हें अंतरण की इस लागत को वसूल करने के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी जाए क्योंकि बिलिंग प्रणाली में परिवर्तन, डाटा एन्ट्री करने के साथ-साथ कुछ प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक खर्चे भी करने पड़ते हैं। उन्होंने जो अनुमान लगा कर दिया है, वह 200 रु. से लेकर 1200 रु. प्रति परिवर्तन हैं।

8. उभोक्ता के हितों को देखते हुए, प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है कि, एक पैकेज से दूसरे में जाते समय, उपभोक्ता से आव्रजन शुल्क लेने की अनुमति दी जाए। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण को टैरिफ प्रस्तावों में सेवा प्रदाताओं ने अंतरण के लिए शुल्क शामिल किया है जो 500 रु. से 1200 रु. प्रति परिवर्तन है। इस शुल्क को टैरिफ के प्रकाशन तथा रिपोर्टिंग के लिए बने फार्मेट में विनिर्दिष्ट सामान्य सेवा शर्तों की मद 8 के अधीन प्रस्तुत किया गया है। सेवा के लिए सामान्य नियम एवं शर्तों की मद 8 निम्नानुसार है :

टैरिफ पैकेजों के संबंध में प्रवेश/प्रस्थान की शर्तें :—

— सेवा प्रदाता

— ग्राहक।

9. सेवा के सामान्य नियम और शर्तों में इस मद को शामिल करने का उद्देश्य यह था कि, सेवा प्रदाता साफ-साफ तौर पर उपभोक्ता को, एक टैरिफ पैकेज से दूसरे में जाने के नियम और शर्तों, जैसे बिलिंग साइकिल आदि के बारे में, अवगत करा दे। इसमें आव्रजन-प्रभार शामिल है करने का आशय नहीं था। यही कारण है कि टी टी ओ 1999 में सी एम टी एस के निमित अनुसूची-II में आव्रजन-प्रभार की परिकल्पना नहीं थी। यह संशोधन इस बात को स्पष्ट करता है कि जब कोई उपभोक्ता एक टैरिफ पैकेज से दूसरे में जाए तो सेवा प्रदाता कोई प्रभार नहीं लगाएगा। समय गुजरने के साथ-साथ, उपभोक्ताओं द्वारा टैरिफ पैकेजों में परिवर्तन करने के अनुरोधों के आंकड़ों की मदद से, प्राधिकरण इस विषय पर आगे चिंतन करेगा।

10. इसके साथ-साथ किसी उपभोक्ता के टैरिफ पैकेज में परिवर्तन संबंधी अनुरोध, उस अनुरोध के तत्काल बाद के उपभोक्ता बिलिंग साइकिल में, सेवा प्रदाता द्वारा कार्यान्वित कर दिए जाने चाहिएं, इस प्रकार, टैरिफ पैकेज में परिवर्तन के उपभोक्ता-अनुरोध को ऐसा प्रदाता केवल तब तक मना कर सकता है जब तक कि उपभोक्ता का वह बिलिंग साइकिल पूरा नहीं हो जाता जिस दौरान दूसरे टैरिफ पैकेज में जाने का अनुरोध किया गया था, इस बिलिंग साइकिल के पूरा होने पर सेवा प्रदाता को चाहिए कि वह मांगे गए परिवर्तन को कार्यान्वित कर दें।

11. प्रतिभूति जमा और संस्थापना शुल्क पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए, सदस्यता शुल्क या नामांकन शुल्क जैसे एकमुश्त शुल्कों पर लगे पिछले प्रतिबंधों को समाप्त करके वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों के संबंध में, तीसरे संशोधन में अतिरिक्त लचीलेपन की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

12. इसके अलावा, वैकल्पिक पैकेजों के लिए विज्ञापन देते समय, सेवा प्रदाताओं को उसी विज्ञापन में मानक पैकेज पर लागू टैरिफ को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना होगा।

13. टी टी ओ 1999 की अनुसूची-II में फुटनोट में कहा गया है कि उस अनुसूची में दिए शुल्क 31 जुलाई, 1999 तक ही लागू रहेंगे और ''कालिंग पार्टी पेज'' व्यवस्था पर लागू टैरिफ 1 अगस्त, 1999 से लागू होंगे। इन शुल्कों के लागू होने का समय तब तक के लिए बढ़ा दिया गया है जब तक इन्हें कालिंग पार्टी पेज पर लागू शुल्क प्रणाली द्वारा नहीं बदला जाता है। इस मामले पर निकट भविष्य में एक अलग अधिसूचना जारी की जाएगी।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1999

F. No. 301-4/99-TRAI (Econ.).—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (Fourth Amendment) ORDER 1999

1. **Short title, extent and commencement:**

   (i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Fourth Amendment) Order 1999.".

   (ii) The Order shall be deemed to have come into force from May 01, 1999.

2. In Schedule I (Basic Services Other Than ISDN) of the Telecommunication Tariff Order 1999:

   (i) The existing clause (g) shall be deleted and substituted to read as under:

(g) Alternative tariff packages	Alternative tariff and free call allowance offered to subscribers by service providers, in addition to those provided for in the Standard Tariff Package. In the Alternative Tariff Packages, the ceilings with respect to the security deposit (other than for STD/ISD), installation charge and registration charge specified in the standard package shall be carried over to all alternative packages. Further, installation charge shall be imposed by any service provider only when a customer subscribes initially to the packages offered by the service provider. No installation charge shall be imposed when a subscriber moves from one package to another offered by a particular service provider.

3. In Schedule II (Cellular Mobile Telecom Service) of the Telecommunication Tariff Order 1999:

   (i) The existing Footnote * in Schedule II shall be deleted and substituted to read as under:

The applicability of the tariffs notified in the Telecommunications Tariff Order (TTO) 1999, and the subsequent Amendments to TTO 1999, to remain in place till they are substituted by tariffs relevant to the 'Calling Party Pays' (CPP) regime. The tariffs applicable under a CPP regime shall be notified by the Authority in due course of time.

(ii) The existing clause (b) shall be deleted and substituted to read as under:

(b) Alternative tariff packages	Alternative tariff and free call allowance offered to subscribers by service providers, in addition to those provided for in the Standard Tariff Package. In the Alternative Tariff Packages, the ceilings with respect to the security deposit (other than for STD/ISD) and installation charge specified in the standard package shall be carried over to all alternative packages. Further, installation charge shall be imposed by any service provider only when a customer subscribes initially to the packages offered by the service provider. No installation charge shall be imposed when a subscriber moves from one package to another offered by a particular service provider.

4. This Order contains at Annex A, an Explanatory Memorandum that explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order 1999.

5. The Explanatory Memorandum of Telecommunications Tariff Order 1999 shall be numbered as Explanatory Memorandum-I and that at Annex A as Explanatory Memorandum-4.

By Order,

HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Advisor

[ADVT/III/IV/Exty/142/99]

ANNEX A
EXPLANATORY MEMORANDUM - 4

1. —In the Third Amendment to it's Telecommunication Tariff Order (TTO), 1999, released on 31st May 1999, the Authority had, *inter-alia*, stated,

   "In Alternative Tariff Packages, there is no restriction on any tariff to be charged, except that all tariff packages offered by any service provider shall have the same charge for security deposit (other than for STD/ISD), installation and registration as in the Standard Tariff Package offered by that service provider".

2. The Authority received communication from certain service providers that they wished to provide lower security deposits in particular alternative tariff packages, but the Third Amendment to TTO 1999 precluded them from doing so.

3. The Authority's decision in the Third Amendment was to facilitate mobility of subscribers across packages and thus increase the scope of options available to them. It was intended to decrease the rigidities in the marketing of alternative packages. The Authority's intention is to provide a framework for migration between different tariff packages so that subscriber interest is fully protected and that the service providers give sufficient information in a transparent manner so as to facilitate an informed choice by the subscriber. The Authority issued two Orders, to define the framework in a way that would achieve this objective. With a view to discussing the possibility of devising a system so that a customer does not face any problem in migrating from one tariff package to another, a consultation meeting was organised with basic and cellular mobile service providers, in which TRAI emphasised that:

   i. A customer with any service provider has a right to migrate from one tariff package to another.
   ii. In migrating from one package to another, the customer should not pay charges for items for which service providers incur no additional cost. An example of this would be 'installation charge'.
   iii. The customer should be informed about the conditions applicable to migration from one tariff package to another.

4. To maintain the possibility of lower deposits charged to customers in alternative tariff packages, the Authority has decided to provide more flexibility for this item in alternative tariff packages. Further, the Authority wishes to maintain a ceiling for security deposits for all tariff packages. This ceiling is the same as specified for the standard tariff package, i.e. Rs. 3000.

5. Since lower security deposits will be in the interest of customers, the Authority has decided to grant flexibility to service providers to determine the amount charged towards security deposit (other than STD/ISD) provided that this amount is within the

specified ceiling of Rs. 3000. The import of this decision is that security deposits may be different for different packages. In case the subscriber moves from one tariff package with a particular amount as security deposit to another with a lower security deposit, the Authority has decided that the difference will be either refunded to the subscriber or adjusted against the amount payable by the subscriber, as applicable. This refund must be made in the subscriber's billing cycle subsequent to the move to another tariff package. In addition, as mentioned in the Third Amendment to TTO 1999, a service provider shall refund all security deposits in full at the time a subscriber leaves the network. To the extent, the customer has an outstanding amount due to the service provider at the time of disconnection, this amount may be adjusted in the final transaction.

6. **With regard to installation charge, the Authority wishes to clarify that these charges may be imposed only when a customer joins the network of a particular service provider. Installation charge shall not be levied when the subscriber moves from one tariff package to another tariff package of the same service provider.** If a customer moves from one service provider to another, that customer will have to pay installation charge again, but only at the time of subscribing to the services provided by another service provider and not for any subsequent move from one package to another offered by that service provider.

7. One aspect of concern to service providers relates to 'too frequent changes' in tariff packages by customers since this results in additional cost to be incurred by them each time there is a change. Accordingly, service providers have proposed that they should be permitted to charge a fee from the customer to recover cost of migration, which involves changes in the billing system, data entry, and certain operational and administrative costs. The estimates given by them range from Rs. 200 to Rs. 1200 per change.

8. **The Authority has decided, in consumer interest, not to accede to the proposal of service providers to allow a fee for migration when the subscriber moves from one tariff package to another.** In this context, it should be mentioned that in their tariff submissions to the Authority, service providers have included a charge for migration that ranges from Rs. 500 to Rs. 1200 per change. This charge has been reported under item 8 of the general terms and conditions of service specified in the format for publishing and reporting of tariffs. Item 8 of the general terms and conditions for service reads as follows:

   Conditions of entry/exit with regard to tariff packages
   - *Service providers*
   - *Customers*

9. The intention of including this item in the general terms and conditions of service was to ensure that the service provider clearly communicated to the subscriber, the terms and conditions of migration, such as billing cycle, from one tariff package to another. It was not intended to include a charge for migration. Accordingly, schedule II for

CMTS in the TTO 1999 did not envisage a charge for migration. **This Amendment clarifies that a service provider shall not levy a charge when a subscriber moves from one tariff package to another.** The Authority will study this aspect further with the help of data on the changes in tariff packages requested by customers over a period of time.

10. In addition, a subscriber's request for a change in tariff package must be implemented by the service provider in the subscriber's billing cycle subsequent to the request being made. A service provider can thus reject the subscriber's request for a change of tariff package only until the completion of the subscribers billing cycle during which the request is made for a move to another tariff package. At the conclusion of that billing cycle, the service provider must effect the requested change.

11. **The Third Amendment provided additional flexibility with regard to Alternative Tariff Packages by removing the previous restrictions on one-time charges such as membership fee or enrolment fee, while maintaining the restrictions with respect to the security deposit and installation charges. That additional flexibility shall continue to be applicable.**

12. In addition, while advertising for alternative packages, it shall be necessary for service providers to include in the same advertisement, tariffs applicable to the standard package.

13. In Schedule II of TTO 1999, footnote * states that the tariffs in that schedule remain applicable only till 31 July 1999 and that tariffs applicable to Calling Party Pays regime will be implemented from August 01, 1999. **The application of these tariffs has been extended till they are replaced by tariffs applicable to a Calling Party Pays regime. A separate notification will address that matter in the near future.**

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054